87/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.01.2023	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र मूल वाद का निस्तारण होने से अपील प्रभावहीन होने बाबत पेश कर निवेदन किया कि विचारण न्यायालय में मूल दावे का जरिये राजीमनामा अंतिम निस्तारण हो चुका है। हस्तगत अपील प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। मूल दावा निस्तारित हो जाने से हस्तगत अपील प्रभाव हीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से खारिज फरमायी जावे। जवाब में विद्वान रेस्पो. अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए मूल दावे का निस्तारण हो जाने से अपील को खारिज किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख विचारण न्यायालय में मूल दावे दिनांक 06 जनवरी 2023 को जरिये राजीनामा अंतिम निर्णय हो चुका है। हस्तगत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पारित आदेश के विरूद्ध है जो प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट प्रभाव हीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को सूचनार्थ आदेश प्रति भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अंपील प्राधिकारी जोधपुर	